

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

www.govtdentalcollegeraipur.in

Email-govtdentalcollege@gmail.com (GST-22JBPS02579D1D2)

क्रमांक / 5959 / जीडीसी / मेन्ट. / 2023

रायपुर / दिनांक
8-11-23

कोटेशन सूचना
Quotation Notice

विषय:- विधुत सबस्टेशन स्थित ACB एवं VCB मरम्मत/सर्विस हेतु कोटेशन (दर) प्रस्तुत किये जाने बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय के विधुत सबस्टेशन के ए.सी.बी. (एयर सर्किट ब्रेकर) तथा वी.सी.बी. (वेक्युम सर्किट ब्रेकर) का मरम्मत/सर्विस कार्य करवाया जाना है उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित प्रारूप ही कोटेशन प्रस्तुत करें:-


क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	यूनिट	मेक एवं प्रोडक्ट कोड	ईकाई दर रु. में	जी.एस. टी. %	ईकाई दर जी. एस.टी. सहित	कुल राशि
01	ए.सी.बी. (एयर सर्किट ब्रेकर मरम्मत/सर्विस	03						
02	वी.सी.बी. (वेक्युम सर्किट ब्रेकर) मरम्मत/सर्विस	03						

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 13/11/2023 शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्तें:-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
- कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
- आदेश जारी होने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना होगा। अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
- लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम लिखना चाहिए।
- संबंधित फर्म को विधुत के मापदण्ड का लायसेन्स/सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. उपरोक्त कार्य अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता की होना चाहिए। उक्त कार्य के दौरान यदि किसी प्रकार का हादसा अथवा जानमाल की हानि होती है तो समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
9. कार्यालयीन समय में उपरोक्त कार्यों का भौतिक अवलोकन किया जा सकता है। " उक्त कार्य जहाँ है जैसा है" के शर्त पर मरम्मत कार्य किया जायेगा।
10. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।


शास्त्रीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर